5 चीजें, जो आपको न्यू यार्क मानवाधिकार कानून के अंतर्गत पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न के बारे में पता होना चाहिए

क्या आपकी जाति या धर्म के कारण आपको पड़ोसियों ने कोई तकलीफ पहुँचाई है?
क्या ट्रांसजेंडर होने के कारण आपका उत्पीड़न किया गया है?
आप अपने परिवार से किसी विदेशी भाषा में बात कर रहे हों तो क्या कभी लोग आप पर नाराज हुए हैं?

पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न में शामिल है धमकी देना, डराना, उत्पीड़ित करना, दबाव डालना या हिंसा, जिससे:

- व्यक्ति के नागरिक या संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप होता है; और
- यह अंशतः उस व्यक्ति के वास्तविक या तथाकथित जाति, संप्रदाय, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिरुचि, उम्र, दिव्यांगता या विदेशी अथवा नागरिकता की स्थिति या अन्य संरक्षित स्थिति के कारण प्रेरित है।

1. **पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न की सूचना देना आसान है।** कमीशन (आयोग) के समक्ष किसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की सूचना देते समय, आपको सिर्फ कमीशन को कॉल करके हमें बताना होगा कि क्या हुआ। हम वहाँ से आपका मार्गदर्शन करेंगे।
2. **NYC में किसी भी व्यक्ति के लिए पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न की कार्रवाई करना निषिद्ध है,** ठीक ऐसे ही, प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से सुरक्षा दी गई है। आपको उत्पीड़ित करने वाला पड़ोसी, गली में आप पर हमला करने वाला कोई व्यक्ति या बस पर सवार यात्री, सभी के लिए इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त, हालांकि हमलावर द्वारा आपका उत्पीड़न करने के कई कारण हो सकते हैं, फिर भी पीड़ित की संरक्षित श्रेणी के कारण आंशिक रूप से भी प्रेरित होने पर पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न निषिद्ध है।
3. **आपको हमेशा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की सूचना देनी चाहिए, तब भी, जब आप अपना नाम न बताना चाहें।** कमीशन ऐसी कार्रवाई को दोबारा होने से रोकने के लिए आपके क्षेत्र के सामुदायिक सदस्यों से मिलकर काम कर सकता है।
4. जब आप दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा करते हैं तो, और अधिक दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए **कमीशन उस पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न को रोकने का आदेश पारित कर सकता है** ।
5. **कमीशन आपके उत्पीड़क को पक्षपात के कारण होने वाले खर्च का अपने जेब से भुगतान,** और भावनात्मक क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान का भी आदेश दे सकता है। कमीशन ये आदेश भी दे सकता है कि उत्पीड़क नागरिक दंडों का भुगतान करे।

बदले की कार्रवाई NYC सहन नहीं की जाती है।
यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जाति, रंग, धर्म/संप्रदाय, राष्ट्रीय मूल, लिंग, लैंगिक पहचान, दिव्यांगता, लैंगिक अभिरुचि या अप्रवासी स्थिति के कारण आपको धमकी देता है, उत्पीड़न करता है या डराता है या आपके विरुद्ध हिंसा अथवा दबाव का उपयोग करता है तो कृपया 212-416-0197 पर कॉल करें और न्यू यॉर्क मानवाधिकार आयोग से बात करें। ये कार्रवाइयाँ न्यू यॉर्क मानवाधिकार कानून द्वारा निषिद्ध हैं।

@NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

NYC कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स (मानवाधिकार आयोग)